कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक /2120/तक/प्र.अ./लो0स्वा0यां0वि0/ भोपाल दिनांक 21.3.05

प्रतिः–

1. समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
................परिक्षेत्र........................

2. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
......................मंण्डल/परियोजना मण्डल.....................

3. समस्त कार्यापालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड/परियोजना खंड..

विषयः– निविदा आमंत्रण के पूर्व भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करना!

————————00————————

पुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन व्दारा अवगत कराया जाता हैं कि निर्माण कार्या के लिए कार्या के क्रियान्वयन में यह पाया गया है कि भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व निविदा आमंत्रण कर कार्यदेही जारी का दिये जाते है तत्पश्चात यदि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो ठेकेदार को निविदा के ‘‘एक्सलेशन क्लाज ‘‘ के तहत अतिरिक्त भुक्तान प्राप्त करने का हक प्राप्त हो जाता हैं!इस प्रकार शासन की अनावश्यक धनहानि होती हैं!

अतः यह सुनिश्चित करें कि कोई भी निर्माण कार्य कराने के पूर्व भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूर्ण कार्यवाही कर ली गई हैं!तत्पश्चात ही निविदा आंमत्रण इत्यादि की कार्यवाही की जावें !

उपरोक्त निर्देशों का कढाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि शासन /विभाग का किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न होने पावें!

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
म.प्र. भोपाल